प्रेस विज्ञप्ति

06.10.2025

अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों तक पहुँचाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय), बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय, मेसर्स इंजाज़ इंटरनेशनल एवं अन्य के मामले में, जिसकी जाँच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है, धन शोधन के अपराध के पीड़ितों और सही दावेदारों को 20.16 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियाँ वापस करेगा।

प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार कार्यालय, येलहंका, बेंगलुरु की शिकायत और विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन द्वारा मेसर्स इंजाज़ इंटरनेशनल और उसके संबद्ध समूह के खिलाफ प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) अधिनियम, 1978, आईपीसी, 1860 और चिट फंड अधिनियम, 1982 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 07.09.2018 की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उपरोक्त एफआईआर वर्तमान में वित्तीय खुफिया इकाई, आपराधिक जांच विभाग, बेंगलुरु द्वारा जांच के अधीन है।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि साझेदारी फर्म मेसर्स इंजाज़ इंटरनेशनल में चिटफंड योजना के नाम पर भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त हुई थी और इस धनराशि को कई अचल संपत्तियों की खरीद के साथ-साथ फर्म के भागीदारों के व्यक्तिगत खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया था।

जाँच के दौरान, ईडी ने एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसमें आरोपी साझेदारी फर्म की कई अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया और बाद में माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की गई। वास्तविक/वैध दावेदारों और धन शोधन के अपराध के पीड़ितों को पीओसी वापस दिलाने के पीएमएलए के इरादे को ध्यान में रखते हुए, ईडी ने इस मामले में वास्तविक/वैध दावेदारों और धन शोधन के अपराध के पीड़ितों को पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दायर आवेदन के जवाब में, कुर्क की गई संपत्तियों को मुक्त करने के लिए माननीय प्रधान नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अनापत्ति प्रस्तुत की।

प्रवर्तन निदेशालय के पूर्वोक्त निवेदन के आधार पर, माननीय प्रधान नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश ने धन शोधन अपराध के वास्तविक/वैध दावेदारों और पीड़ितों को कुर्क की गई अचल संपत्तियाँ वापस करने का आदेश पारित किया। वास्तविक दावेदार और पीड़ित को संपत्ति वापस करना, प्रभावित व्यक्तियों को पीओसी वापस करने के प्रवर्तन निदेशालय के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराधों से निपटने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।